

डिकरी व मुकदमें इबदाई
 (आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
 (Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)
 अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
 व इजलास श्री गंगाधर मीणा, आर.ए.एस

रामोली बनाम पून्ना वगै०

मुकदमा नंबर 140 52/2024 2023

दावा बाबत 88,89,188 रा०का० अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-व-रू व हाजरी वादी
 मिनजानिब मुददठ व मिनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व
 डिकरी दी जाती है कि

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 153, 154, 155, 156 वाके ग्राम
 चिडरउआ तहसील नदबई पर वादी को 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4
 प्रत्येक को 1/64 वाहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 एवं उनकी माता नथिया
 पत्नी धूरिया प्रत्येक को 1/64 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
 शेष प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 14 के हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राजात यथावत
 रहेंगे। तथा वादी के पिता का नाम पाँच्या के स्थात पर प्रप्पू शुद्ध किया जाता है। तथा
 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 व उनकी माता नथिया पत्नी
 धूरिया जाति कुम्हार निवासी झौरोल के नाम चल रहे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राजात
 कलमजन किए जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिकरी जारी हो।
 बेज - मुबलिया - - - - - बावत - - - - - खर्चा इस मुकदमें के मयमुद व शरह
 फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक - - - - - की अदा करें। अधिनियम

दसबत व मुहर अदालत के आज तारीख **12.05.2025**

को जारी की गई है

मुहर

दस्तखत

[Signature]

मुददई	रुप्या	पैसा	मुददालय	उप जिला क्लिक्टर
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुक्म नामा मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	उप जिला मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर)
मीजान			मीजान	



1. रामोली पुत्र पप्पू जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
- 1/1 प्रेमसिंह पि० रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
- 1/2 लक्ष्मण पि० रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
- 1/3 सुन्दर पि० रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
- 1/4 मुकेश पि० रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
- 1/5 कमलेश पुत्री रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
- 1/6 वैजन्ती पुत्री रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
- 1/7 सुमन पुत्री रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
- 1/8 रामवती पत्नि रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई

वादि-

बनाम

1. पुन्ना पि० लच्छी जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
2. मुन्ना पि० लच्छी जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
3. बाबू पि० लच्छी जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
4. रामलाल पि० लच्छी जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
5. मवासी पि० धूरिया जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
6. राधाकिशन पि० धूरिया जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
7. जीवनी पुत्री धूरिया पत्नि मूलचंद जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
9. जंगलिया उर्फ जवाहर सिंह पि० पांच्या जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
10. हरीसिंह पि० पांच्या जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
11. सेठ पि० पांच्या जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
12. कन्नीराम पि० चिम्मनलाल जाति ब्राह्मण निवासी झौरोल तहसील नदबई।
13. दीनदयाल पि० चिम्मनलाल जाति ब्राह्मण निवासी झौरोल तहसील नदबई।
14. भगवती प्रसाद पि० चिम्मनलाल जाति ब्राह्मण निवासी झौरोल तहसील नदबई।
15. मैनेजर पी०एन०बी०, नदबई।

१५
१२/५/२५
उप जिला कलक्टर
एवं
उप जिला मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर)

- तरतीवी प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

करण सं. 140/2023

कस्म दावा 88,89,18 आर.टी.ए.

पीसीएमएस नंबर 2023/000237

निर्णय दिनांक.....19.05.25

1. रामोली पुत्र पप्पू जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
- 1/1 प्रेमसिंह पि0 रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
- 1/2 लक्ष्मण पि0 रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई।
- 1/3 सुन्दर पि0 रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई।
- 1/4 मुकेश पि0 रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
- 1/5 कमलेश पुत्री रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
- 1/6 वैजन्ती पुत्री रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
- 1/7 सुमन पुत्री रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
- 1/8 रामवती पत्नि रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई

वादिनी

बनाम

1. पुन्ना पि0 लच्छी जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
2. मुन्ना पि0 लच्छी जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
3. बाबू पि0 लच्छी जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
4. रामलाल पि0 लच्छी जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
5. मवासी पि0 धूरिया जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
6. राधाकिशन पि0 धूरिया जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
7. जीवनी पुत्री धूरिया पत्नि मूलचंद जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई।
9. जंगलिया उर्फ जवाहर सिंह पि0 पांच्या जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
10. हरीसिंह पि0 पांच्या जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
11. सेठ पि0 पांच्या जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई
12. कन्नीराम पि0 चिम्नलाल जाति ब्राह्मण निवासी झौरोल तहसील नदबई।
13. दीनदयाल पि0 चिम्नलाल जाति ब्राह्मण निवासी झौरोल तहसील नदबई।
14. भगवती प्रसाद पि0 चिम्नलाल जाति ब्राह्मण निवासी झौरोल तहसील नदबई।
15. मैनेजर पी0एन0बी0, नदबई।

- असल प्रतिवादीगण

- तरतीवी प्रतिवादीगण

12/5/25



उपरिथत श्री लक्ष्मण सिंह एडो(वादी)

निर्णय

दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

1. यह कि खाता संख्या 78 के विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 153 रकबा 0.28, 155 रकबा 0.27, 156 रकबा 0.27 कुल किता 04 कुल रकबा 1.10 हैक्टे. वाके ग्राम चिडरउआ तहसील नदबई में स्थित है। जिसके 1/16 हिस्से पर वादी खातेदार काश्तकार की तरह काबिज चला आ रहा है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 उक्त आराजी के 1/64, 1/64, 1/64, 1/64 हिस्से पर खातेदार की तरह काबिज है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7, 1/64, 1/64, 1/64, 1/64 हिस्से पर खातेदार की तरह काबिज थे। उक्त प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7 की मृतक माता नथिया पत्नि धूरिया 1/64 हिस्से की खातेदार की तरह काबिज थी। अब प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7 अपनी माता नथिया के मरने के बाद उसके हिस्से सहित उक्त आराजी पर 1/48, 1/48, 1/48, पर खातेदार की तरह काबिज है तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 14, 1/4, 1/4, 1/4, हिस्से के खातेदार काबिज है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 11 1/48, 1/48, 1/48, हिस्से के खातेदार काबिज है।
2. यह है कि विवादित हाल वाद पत्र की आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरिके से वादी के नाम 1/48 हिस्से पर खातेदारी के इन्द्राजात चले आ रहे है। तथा विवादित आराजी पर गलत तरिके से राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का पांच्या दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी के पिता का सही नाम पप्पू है। तथा वादी उक्त आराजी के 1/16 हिस्सा पर खातेदार की तरह काबिज चला आ रहा है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड हाल में विवादित आराजी पर गलत तरिके से 1/48, 1/48, 1/48, 1/48, हिस्से पर खातेदारी के इन्द्राजात चले आ रहे है। जबकि उक्त प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 1/64, 1/64, 1/64, 1/64 हिस्से पर खातेदारी की तरह काबिज है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 5 लगायत 7 व उनकी मृतक माता नथिया पत्नि धूरिया जाति कुम्हार निवासी झौरोल तहसील नदबई के नाम उक्त विवादित आराजी पर 1/48, 1/48, 1/48, 1/48

12/5/25

हिस्से पर खातेदारी के गलत इन्द्राजात चले आ रहे है। जबकि उक्त प्रतिवादीगण 1/64, 1/64, 1/64, हिस्से पर खातेदारी की तरह काबिज है। व उनकी मृतक माता 1/64 हिस्से पर खातेदारी व काबिज थी। विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 02 वादपत्र पर खातेदारी के उक्त गलत इन्द्राजात से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पडता है। अतः वादी विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या वादीपत्र की आराजी पर अपने आपको 1/16 हिस्से पर खातेदार व काबिज घोषित करा पाने के अधिकारी है तथा अपने पिता का नाम पांच्या के स्थान पर सही नाम पप्पू दुरुस्त करा पाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम विवादित आराजी पर 1/48, 1/48, 1/48, 1/48 हिस्से के वेशी इन्द्राजात खातेदारी कलमजन करा पाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी गण संख्या 5 लगायत 7 व उनकी माता उक्त नथिया पत्नी धूरिया के नाम 1/48, 1/48, 1/48, 1/48 हिस्से पर विवादित आराजी पर वेशी इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने का अधिकारी है।

3. यह है कि विवादित आराजी वादपत्र मद संख्या 2 वादपत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व 9 लगा. 11 की पुश्तैनी आराजी है। सजरा वादपत्र में अंकित है।
4. यह कि विवादित आराजी के हाल खसरा नंबर 153, 154 वाके चिडरउआ तहसील नदबई सैटलमेंट संवत 2060 के पूर्व के साबिक खसरा नंबर 104 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा से व हाल खसरा नंबर 155 व 156 साबिक खसरा नंबर 103 रकबा 2 बीघा 2 बि0 से बने हैं तथा सैटलमेंट संवत 2028 के खसरा नंबर 103 व 104 सैटलमेंट संवत 2028 के पूर्व के साबिक खसरा नंबर 49 मिन रकबा 3 बीघा 5 बि0 व 49 मिन रकबा 3 बीघा 10 बि0 वाके ग्राम चिडरउआ से बने हैं।
5. यह कि प्रति संख्या 1 लगायत 7 व 8 लगायत 11 ने वमुकाम चिडरआ तहसील नदबई पर दिनांक 15.10.2023 को वादी को यह एलानियां धमकी दी है कि वादी के नाम विवादित आराजी मद संख्या 2 वादपत्र की आराजी पर गलती से 1/48 हिस्से पर ही खातेदारी के इन्द्राजात हैं। तथा वादी के पिता का सही नाम पप्पू के स्थान पर पांच्या दर्ज है इसलिए वादी को उसके हिस्से

15/12/25

से बेदखल कर देंगे। उक्त धमकी में अगर प्रतिवादीगण कामयाब हो गए तो वादी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से नहीं हो सकेगी।

6. अंत में प्रार्थना की कि वादी विवादित आराजी मद संख्या 2 वादपत्र की आराजी के 1/16 हिस्से का खातेदार व काबिज है तथा वादी के पिता के गलत नाम पांच्या के स्थान पर पप्पू दुरुस्त किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम के वेशी इन्द्राजात खातेदारी व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 व उनकी मृतक माता नथिया पत्नी धूरिया जाति कुम्हार निवासी झौरोल नाम के वेशी इन्द्राजात को कलमजन किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी में राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे तथा वादी को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें। तो

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए सम्मन तलब किया गया। तामील बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः प्रतिवादीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075-78 किता 4, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 वाके चिडरउआ, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम चिडरउआ, नकल जमाबंदी संवत 2011-14 वाके चिडरउआ, नकल जमाबंदी संवत 2020-2023 वाके ग्राम चिडरउआ, फोटो आधार कार्ड वादी रामोली पुत्र पप्पू पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रेमसिंह पुत्र रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल एवं बदलेराम पुत्र भौंगा जाति कुम्हार निवासी झौरोल पेश किए गए। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा बहस नहीं की गई। अतः वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 153, 154, 155, 156 के साबिक खसरा नंबर 103 व 104 के साबिक खसरा नंबर 49 मिन जमाबंदी संवत 2011-14 में पप्पू पुत्र दुर्गा 1/4 हिस्से का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड था। सजरा अनुसार वादी रामोली के पिता का नाम पप्पू था परन्तु पिता का नाम पांच्या

12/5/25

दर्ज होने के कारण विवादित आराजी पर जमाबंदी में हिस्सा 1/48 दर्ज कर दिया गया जबकि वादी 1/16 हिस्से का हकदार था। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का विवादित आराजी में 1/64 वाहिस्सा बराबर निहित था परन्तु गलत तरीके से 1/48 वाहिस्सा बराबर हो गया था। इसी प्रकार धूरिया के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 तथा नथिया पत्नी धूरिया का भी विवादित आराजी में हिस्सा 1/64 वाहिस्सा बराबर निहित होना था परन्तु गलत तरीके से 1/48 वाहिस्सा बराबर इन्द्राज कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 के इन्द्राजात सही थे परन्तु वादी को प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 11 के पिता पाँच्या की संतान बता दिया गया है। जिस कारण वादी का हिस्सा उसके निहित हिस्से से कम हो गया। वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड एवं वादी द्वारा वादपत्र में वर्णित सजरा अनुसार तथा वादी द्वारा साक्ष्यवादी के रूप में पेश बयान प्रेमसिंह पुत्र रामोली जाति कुम्हार निवासी झौरोल एवं बदलेराम पुत्र भौंगा जाति कुम्हार निवासी झौरोल पेश किए गए, से साबित है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 153, 154, 155, 156 वाके ग्राम चिडरउआ तहसील नदबई पर वादी रामोली का 1/16 हिस्सा निहित है तथा वादी रामोली के पिता का सही नाम पप्पू है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेशः

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 153, 154, 155, 156 वाके ग्राम चिडरउआ तहसील नदबई पर वादी को 1/16 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक को 1/64 वाहिस्सा बराबर, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 एवं उनकी माता नथिया पत्नी धूरिया प्रत्येक को 1/64 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष प्रतिवादी संख्या 9 लगायत 14 के हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तथा वादी के पिता का नाम पाँच्या के स्थान पर पप्पू शुद्ध किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 व उनकी माता नथिया पत्नी धूरिया जाति कुम्हार निवासी झौरोल के नाम चल रहे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राजात कलमजन किए जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

सत्यमेव जयते

(गंगाधर मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी

नदबई

